भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1263
जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण 1947 (शक) को दिया जाना है

जून 2025 में जीएसटी संग्रह

1263. श्री ए. राजा :
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या जून, 2025 माह में जीएसटी संग्रह हाल के वर्षों में सबसे कम रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जीएसटी संग्रह में गिरावट आर्थिक गतिविधियों में गिरावट को दर्शाता है;
(घ) क्या जीएसटी परिषद की फिटमेंट एवं दर-निर्धारण संबंधी समिति ने जीएसटी दर के स्लैबों की संख्या में कमी के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार आम लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी के लिए जीएसटी परिषद में उपाय पर विचार करेगी; और
(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पहली तिमाही के लिए तिमाही निवल जीएसटी संग्रह नीचे दिया गया है:-

तिमाही	राजस्व (करोड़ रुपये में)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि
अप्रैल-जून 2023	445,905	12.9%
अप्रैल-जून 2024	490,174	9.9%
अप्रैल-जून 2025	542,533	10.7%

यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निवल पहली तिमाही संग्रह में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही की तुलना में 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। निवल राजस्व संग्रह की तिमाही तुलना मासिक तुलना से अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि यह अल्पकालिक अस्थिरता को कम करती है और अंतर्निहित प्रवृत्ति को स्पष्ट करती है।

(ग): (क) एवं (ख) के मद्देनजर, यह प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) एवं (ड.) : जी नहीं।

(च) और (छ): सभी वस्तुओं पर जीएसटी दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं।यह जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सदस्य शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद ने 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार करने के लिए एक मंत्रिसमूह का गठन किया है। मंत्रिसमूह के कार्यक्षेत्र में वर्तमान कर स्लैब दरों की समीक्षा करना और आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए उनमें अपेक्षित बदलाव की सिफारिश करना; और विशेष दरों सहित जीएसटी की वर्तमान दर स्लैब संरचना की समीक्षा करना, और जीएसटी में एक सरल दर संरचना के लिए आवश्यक कर दर स्लैब के विलय सहित युक्तिसंगत उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

*****